प्रो. राजेश सिंह, कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का दिनांक 06 जून, 2022 को महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केन्द्र की समीक्षा बैठक

<u>बैठक कार्यवृत्ति</u>

दिनांक 06/06/2022, दिन सोमवार को महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रो. राजेश सिंह, कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी I इस बैठक में डॉ प्रदीप कुमार राव, प्रभारी, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केन्द्र, गोरखपुर सम्मिलित हुए I कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ विवेक प्रताप सिंह, कार्यवाहक प्रमुख एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ- पशुपालन ने अतिथियों का स्वागत किया I कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गत वर्षो में किये गए कार्यों एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण डॉ विवेक प्रताप सिंह द्वारा किया गया I कुलपति एवं प्रभारी महोदय ने विशेषज्ञों द्वारा कृषक एवं केंद्र हितार्थ में किये जा रहे कार्यों की सराहना की तथा भावी कार्ययोजना हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जो निम्नवत है -

प्रो. राजेश सिंह, कुलपति दी.द.उ. गोरखपुर विश्विद्यालय

1. किसान उत्पादक संगठन का पूरा डेटाबेस SFAC के प्रारूप के तर्ज पर तैयार करें I
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) परियोजनाओ में संविदा के माध्यम से कर्मचारियों को रखें I
3. स्टार्ट अप परियोजनाओ पर कार्ययोजना तैयार करेंI जिसमे निम्न परियोजनाएं प्रमुख हें I
   - हाई टेक हॉर्टिकल्चर – डॉ अजीत कुमार श्रीवास्तव
   - बीज उत्पादन एवं काला नमक बीज उत्पादन - श्री अवनीश कुमार सिंह
   - बकरी उत्पादन - डॉ विवेक प्रताप सिंह
   - हाईड्रोपोनिक्स एवं मशरूम उत्पादन - डॉ संदीप प्रकाश उपाध्याय
   - अगरबत्ती उत्पादन - श्रीमती श्वेता सिंह
4. परियोजनाओ से सभी रिपोर्टिंग कार्य श्रीमती श्वेता सिंह द्वारा किया जाएगा
5. वार्षिक ट्रेनिंग कैलेंडर तैयार करें एवं वार्षिक प्रमुख कार्यकलाप कैलेंडर श्री गौरव कुमार सिंह द्वारा तैयार किया जाएगा
6. कृषि विज्ञान केंद्र फार्म से उत्पादित बीज तथा अनाज का सत्रवार लेखा जोखा श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा तैयार किया जाएगा

डॉ प्रदीप कुमार राव, प्रभारी, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केन्द्र, गोरखपुर

1. कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बीज उत्पादन का वर्षवार विवरण तैयार करें I
2. कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि कार्य को गति देने हेतु शोध सहायक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट को समयबद्ध सीमा के लिए नियुक्त किया जा सकता है I